हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

नियुक्ति अधिसूचना

अधिसूचना संख्या.- HNBGU/RECT/NT/2026/20 **दिनॉक: 21-04-2026**

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) में सीधी भर्ती/निश्चित कार्यकाल अवधि/प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित शिक्षणेत्तर (समूह 'क') एंव (समूह 'ख') पदों के लिए निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थीयों से ऑनलाईन आवेदन अमंत्रित किये जाते हैं:–

समूह 'क'

पद सं0	पद	वेतन लेवल	कुल पद	वर्ग					
				अना.	अनु. जा	अनु.ज. ज.	अ.पि. व	इ. डब्ल्यू. एस	दिव्यांग जन
1.	कुलसचिव	लेवल –14	01	01	.	.	.	.	.
2.	अधिशाषी अभियंता	लेवल –11	01	01	.	.	.	.	.
कुल (समूह 'क')			**02**	**02**	**.**	**.**	**.**	**.**	**.**

समूह 'ख' (प्रतिनियुक्ति के आधार पर)

पद सं0	पद	वेतन लेवल	कुल पद
3.	अनुभाग अधिकारी	L-7	19

आवेदकों को केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा
(ऑनदन आवेदन करने के लिए लिंक https://hnbgunt.samarth.edu.in/ पर क्लिक करें)
आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है

प्रयुक्त संक्षिप्त रूपः
अना..–सामान्यः **अनु.जा.**–अनुसूचित जातिः **अनु.ज.जा.**–अनुसूचित जनजातिः **अ.पि.व**– अन्य पिछड़ा वर्गः **ई.डब्ल्यू.एस**–आर्थिक रूप से कमजोर वर्गः

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आरंभ तिथि	**29-04-2026 (बुधवार)**
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	**25-05-2026 (सोमवार) (18:00:00 बजे तक)**
अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट/लिंक पर जाएं	**www.hnbgu.ac.in** **https://hnbgunt.samarth.edu.in**

आवेदन शुल्क- शुल्क (रूपये में)			
क सं0	वर्ग	समूह 'क'	समूह 'ख'
1.	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	**1000/-**	**1000/-**
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग वर्ग और महिला आवेदक	**500/-**	**Nil**
एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।			
भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैकिंग/यू0पी0आई0 के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए।			
एक से अधिक पदों/विभागों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अलग–अलग आवेदन करना होगा और अलग–अलग शुल्क का भुगतान करना होगा।			

y3u (3)

पात्रता एवं पदों से संबंधित अन्य विवरण (समूह 'क')

पद संहिता	पद विवरण	
1.	**कुलसचिव**	**01 पद**
	वेतनमान	लेवल – 14
	आयु सीमा	वरीयता 57 वर्ष से कम
	(शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें)	**अनिवार्य:** i) स्नात्कोत्तर उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंक अथवा जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां के प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड। ii) शैक्षणिक स्तर–11 और उससे अधिक में सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम 15 वर्षो का अनुभव या शैक्षणिक स्तर–12 और उससे ऊपर में सह प्रोफेसर के रूप में 8 वर्षो की सेवा सहित शैक्षिक प्रशासन में अनुभव **अथवा** अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा/अथवा उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनात्मक अनुभव, **अथवा** 15 वर्षो का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से 8 वर्षो का उप–कुलसिचव अथवा समकक्ष पद के रूप में हो ।
	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी / प्रतिनियुक्ति हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो। (उचित चयन प्रक्रिया के पालन के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र)
2.	**अधिशाषी अभियंता**	**01 पद**
	वेतनमान	लेवल – 11
	आयु सीमा	वरीयता 57 वर्ष से कम
	(शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें)	**अनिवार्य:** i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता। ii) संबंधित क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव (जिसमें से पांच वर्ष सहायक अभियंता के रूप में) सीपीडब्ल्यूडी/राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी सेवाओं या इसी प्रकार की संगठित सेवाओं/अर्ध सरकारी/पीएसयू/वैधानिक या स्वायत्त संगठन/विश्वविद्यालय प्रणाली या प्रतिष्ठित निजी संगठनों में, जिनका वार्षिक कारोबार 200 करोड़ रुपये से अधिक हो। निर्माण प्रबंधन/संरचनात्मक अभियांत्रिकी या समकक्ष क्षेत्रों में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वालों को अनुभव में दो वर्ष की छूट दी जाएगी। **वांछनीय:** i) बहुमंजिला इमारतों के निर्माण परियोजनाओं में अनुभव और CPWD/PWD मानदंडों के अनुसार योजना/अनुमान/निविदा प्रक्रिया में अनुभव। CPWD नियमावली, अनुमान तैयार करने/जांचने, रेखाचित्र, संरचनात्मक विवरण, मात्रा बिल, प्रतिस्थापन/विचलन मदों के विवरण और भवन एवं निर्माण से संबंधित अन्य मुद्दों का अच्छा ज्ञान। ii) कंप्यूटर एडेड डिजाइन (CAD) और नवीनतम प्रबंधन प्रौद्योगिकी/अन्य प्रासंगिक सॉफ्टवेयर का ज्ञान।
	नियुक्ति प्रक्रिया	सीधी भर्ती द्वारा।

(समूह 'ख')

3.	**अनुभाग अधिकारी (प्रतिनियुक्ति के आधार पर)**	**19 पद**
	वेतनमान	लेवल – 7
	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन किया जाना है।	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्र/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय प्रणाली या अन्य समान संगठनों के कर्मचारी; i) नियमित आधार पर समान पदों पर कार्यरत। **या** लेवल 6 में तीन वर्ष की नियमित सेवा। **और** ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री। iii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों, नोटिंग और ड्राफ्टिंग का कार्यसाधक ज्ञान।
	नियुक्ति प्रक्रिया	प्रतिनियुक्ति के आधार पर
		*******

नियम एवं शर्तें
(अधिसूचना संख्या- HNBGU/RECT/NT/2025/20 Dated: 21-04-2026)

1. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिये निर्धारित आवेदन प्रारूप में पूर्ण एवं सही जानकारी एवं आवश्यक अपलोड किये गये संलग्नों के साथ ऑनलाइन आवेदन लिंक https://hnbgunt.samarth.edu.in. के माध्यम से **SAMARTH** भर्ती पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन लिंक (https://hnbgunt.samarth.edu.in) 29/04/2026 से प्रारम्भ होगा और 25/05/2026 सांय 06:00 बजे बन्द हो जायेगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगें।
2. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार अनुभव और योग्यता की पुष्टि की जाएगी। अंतिम तिथि के बाद योग्यता और अनुभव का कोई अद्यतन नही किया जायेगा।
3. यह आवेदकों की जिम्मेदारी है कि वह उस पद के लिए अपनी पात्रता का आकलन करे जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। इसलिए, ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पूर्व, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों/शर्तो को पूरित करते हैं, अन्यथा आवेदन को अविलम्बित अस्वीकार कर दिया जाएगा।
4. कुलसचिव पद के लिए भर्ती/चयन माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल के समक्ष विचाराधीन "रिट याचिका (एस/बी) संख्या–315/2024" के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।
5. दिव्यांगजन आवेदकों की उम्मीदवारी भारत सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार होगी।
6. ऐसे आवेदक जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सभी निर्धारित सहायक दस्तावेजों और प्रत्येक आवेदन के साथ अतिरिक्त आवेदन प्रसंस्करण शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर अलग–अलग ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले सभी आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज उच्च रिजोल्यूशन, अच्छी गुणवत्ता, स्पष्ट रूप से पठनीय और डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य होने चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत वांछनीय संलग्रकों (डिग्री/प्रमाण पत्र/अंक पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रतियां, महत्वपूर्ण प्रकाशनों की पुनर्मुद्रण, आदि) को अपलोड न करने वाले ऑन–लाइन आवेदन को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
8. हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के संवर्ग भर्ती नियमों के प्रावधानों (खंड 32 (ए)–शिथिलता की शक्ति) के अनुसार लागू होगी।
9. गैर–सरकारी संगठनों के आवेदकों को अपने दावा किए गए अनुभव के समर्थन में मासिक परिलब्धियों का दावा करने के लिए फॉर्म–16 प्रस्तुत करना आवश्यक है।
10. आवेदनों की जांच स्क्रीनिंग समिति द्वारा तय दिशा–निर्देशों/मानदड़ों के आधार पर योग्य/अयोग्य पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
11. निर्धारित आवश्यक योग्यता न्यूनतम है और इसके होने मात्र से आवेदक को साक्षात्कार/आगामी चयन प्रक्रिया हेतु बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिलता है। जहां किसी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो और सभी आवेदकों का साक्षात्कार लेना संभव या सुविधाजनक न हो, वहां विश्वविद्यालय अपने विवेकानुसार, योग्यता और अनुभव आदि के आधार पर आवेदकों की संख्या को उचित सीमा तक सीमित कर सकता है।
12. विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना/दस्तावेजों के आधार पर आवेदनों पर प्रक्रिया करेगा। यदि सूचना/दस्तावेज भूलवश गलत/नकली पाए जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी और दायित्व पूरी तरह से आवेदक का होगा।
13. तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना, गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करना या आवेदक द्वारा कोई अन्य अवांछनीय कार्य करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
14. सभी प्रमाण–पत्र, जो अंग्रेजी या हिन्दी में नहीं हैं, उनका अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद किया जाना चाहिए तथा उन्हें स्व–सत्यापित किया जाना चाहिए।
15. विश्वविद्यालय के सुरक्षित अधिकारः
    - क. किसी भी समय कोई भी कारण बताए किसी विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण रूप से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
    - ख. किसी भी कारण से विज्ञापित कुछ या सभी पदों को भरने या न भरने के लिए।
    - ग. समय–समय पर यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के बाद पदों की संख्या बढाने /घटाने के लिए
    - घ. आवेदकों की सूची बनाने के लिए मानदंड/प्रक्रिया निर्धारित करना।
    - ड़. आरक्षित पैनल/प्रतीक्षा सूची तैयार करना, जो चयन समिति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी तथा परिणामी/नई रिक्तियों पर नियुक्तियों के लिए उपयोग की जा सकेगी।
16. चयन समिति साक्षात्कार में आवेदकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन की अपनी पद्धति तय कर सकती हैं।
17. विश्वविद्यालय किसी भी समय, नियुक्ति के समय या सेवाकाल के दौरान, आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूर्ववृत्त या दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी हैं या आवेदक का कोई गुप्त इतिहास/पृष्ठभूमि है तथा उसने उक्त जानकारी छिपाई है, तो विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई किसी भी अन्य कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

18. इस भर्ती अधिसूचना से संबंधित कोई भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन/सूचना/अद्यतन आदि विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.hnbgu.ac.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। विश्वविद्यालय किसी अन्य माध्यम से अर्थात डाक/कूरियर आदि द्वारा कोई सूचना प्रेषित नहीं जाएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ई–मेल न प्राप्त होने के, आवेदक द्वारा गलत पता दिए जाने के कारण संचारा की कमी, भुगतान गेटवे द्वारा असफल लेनदेन आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
19. पात्रता की शर्त, साक्षात्कार के संचालन और परिणाम तथा साक्षात्कार के लिए न बुलाए जाने के कारणों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा कोई पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे संवीक्षा कार्य/परिणाम की प्रगति, चयन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें।
20. किसी भी पद के लिए चयनित और नियुक्त उम्मीदवार विश्वविद्यालय के अधिनियम/संविधि/अध्यादेश/नियमों और सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 या भारत सरकार के किसी अन्य ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर लागू हों।
21. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या 19-50/2015- डेस्क-यू, दिनांक 22.12.2015 के अनुसरण में, ग्रुप 'बी' और 'सी' पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा, जिनका ग्रैड पे 4600/- रुपये या उससे कम है। तदनुसार, ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' पदों पर नियुक्ति के लिए कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा।
22. कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगी, जिन्हें समय–समय पर जारी और संशोधित किया जा सकता है।
23. आवेदकों द्वारा किसी भी रूप में प्रचार करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
24. चयन की प्रक्रिया में किसी भी गलती के मामले में, जिसे नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर पता लगाया जा सकता है, विश्वविद्यालय आवेदकों को किए गए किसी भी संचार को संशोधित/वापस लेने रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
25. आरक्षित वर्ग से संबंधित कोई भी आवेदक, जो किसी भी अनारक्षित (यूआर) पद के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे भारत सरकार के नियमों के अनुसार अंकों और आयु आदि में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
26. पहले से ही सेवारत आवेदकों को अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण--पत्र (एनओसी)/आवेदन अग्रेषित करने की प्रति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई प्रति प्रस्तुत /अपलोड करनी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा वांछित होने पर, उसे अपने नियोक्ता से प्राप्त सतर्कता मंजूरी प्रमाण–पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मूल प्रति सीलबंद लिफाफे में विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
27. विश्वविद्यालय, यदि उचित समझे तो, संवर्ग भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पद के लिए लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
28. प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन करने वाले आवेदकों को नियोक्ता के अग्रेषण से साथ पिछले 5 वर्षो के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित सीआर डोजियर की प्रतिलिपि प्रस्तुत / अपलोड करनी होगी।
29. पद के लिए परिवीक्षा अवधि (जहां भी लागू हो) विश्वविद्यालय के संवर्ग भर्ती नियमों के अनुसार होगी।
30. चयनित आवेदक को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
31. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में साक्षात्कार/लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
32. विज्ञापन का हिन्दी संस्करण विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। अनुवाद में किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
33. चयन प्रक्रिया में किसी भी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में, विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पुर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास विज्ञापन में दी गई वांछित योग्यताएँ हैं।
34. किसी भी विवाद की स्थिति में, न्यायनिर्णयन का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल, होगा।

27.4.26

कुलसचिव